# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—61/2017/225 (2017/00061)**

1. श्रीमती प्रेम व्यास बेवा गिरीराज,
2. प्रवीण व्यास पुत्र गिरीराज,
   जाति ब्राहम्ण, निवासी मकान नं0 33, जोशी मौहल्ला लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास, भिनाय, जिला अजमेर ।
3. श्रीमती योगिता मूथा पुत्री गिरीराज पत्नि राजेश मूथा, नि0 शारदापुरम, राठौड़ी कुंआ, नागौर ।
4. ज्योति पुत्री गिरीराज पत्नि ज्ञानेश्वर मूथा, निवासी मोती गेट के पास, मूथों की बाड़ी, बालूनगर, नागौर ।

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. नौरतमल पुत्र रामचन्द्र, जाति कुम्हार, ड्राईवर, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भिनाय ।

**रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 19.1.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या (19/2015) नया 10/2016.**

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री रोड़मल, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

## निर्णय

**दिनांकः— 10.11.2020**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 19.1.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वाके मौजा जंगल भिनाय की आराजी खसरा संख्या 1894 कुल रकबा 0.55 है0 चाही—1 की पूर्व दिशा में 10 फिट चौड़ा एक पुश्तैनी रास्ता है जिसका आस—पड़ौस के सभी कृषक अपने खेतों पर आने जाने व कृषि संबंधी उपकरण लाने ले जाने व फसलों को

लाने के लिए वर्षो से उपयोग करते चले आ रहे है । इसलिये उन्हें सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 इस सुखाचार के अधिकार को लेकर आये दिन झगड़ा फसाद करता रहता है। ग्राम भिनाय स्थित आराजी खसरा नंबर 1854, 1681, 1710, 1711, 1713, 1839, 1859, 1860 प्रार्थी की खुदकाश्त की खातेदारी की भूमियां है जिन पर आने जाने व कृषि संबंधी कार्यो के लिए खसरा नंबर 1904 किस्म रास्ता व सरकारी सिवायचक भूमि खसरा नंबर 1903 व 1894 की पूर्वी मेड़ से खसरा नंबर 1851, 1852, 1853 व 1855 की पश्चिमी मेड़ के सहारे–सहारे प्रार्थी की आराजियात से लगायत एउसके चाह नंबर 1854 तक रास्ता बना हुआ है जिसका उपयोग प्रार्थी एवं पड़ौसी सभी काश्तकार वर्षो से करते चले आ रहे है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 19.7.2015 से प्रार्थी सहित सभी पड़ोसिया को इस रास्ते से खेतों पर जाने से रोक दिया है । अप्रार्थी से इस रास्ते के कदीमी होने का निवेदन करने पर वह भड़क गया और धमकिया देने लगा है । प्रार्थी एवं पड़ौसियों के खेतों पर आने जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में से 10 फिट चौड़ा रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने के आदेश प्रदान करावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 19.1.2017 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने रास्ते के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. अप्रार्थी संख्या 1 ने अपील के विचाराधीन रहते दिनांक 22.10.2020 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसके अनुसार खसरा नंबर 1685, 1706 व 1903 को सरकारी भूमियां बताते हुए उन्हें कोस्ट मुक्त रखा गया है जिस पर अप्रार्थी संख्या 1/अपीलांट ने ऐतराज किया एवं उक्त रास्ते में आये तीनों खसरा नंबरान की राशि भी अदा करने का निवेदन किया । चूंकि उक्त तीनों खसरा नंबरान की भूमिसरकारी भूमि होकर रास्ते के लिए आरक्षित थी जिस पर अधी0न्याया0 द्वारा कोस्ट मुक्त रखा गया है लेकिन भविष्य में किसी भी विवाद को मध्य नजरर खते हुए प्रार्थी उक्त तीनों खसरा नंबरान की रास्ते में आई भूमि की सरकारी दर के अनुसार कोस्ट जमा कराने को राजी है जो अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य खातेदार को अदा कर दी जाये जिससे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट/अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 के जवाब में कथन किया कि खसरा नंबर 1706, 1903 सिवायचक भूमि है जिसके बाबत् अधी0न्याया0 ने राशि जमा कराने बाबत् अपने आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया है जबकि राज्य सरकार को कानूनन डी0एल0सी0 रेट का दुगना पैसा अदा कर राजकोष में जमा करवा कर ही रास्ता कायम किया जा सकता था । अधी0न्याया0 ने राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 14.6.2013 की मंशा के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अब अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के आदेश में रही त्रुटि को उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से राशि जमा कराने के आदेश प्राप्त कर पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 11 जा0दी0 निरस्त किया जावे एवं अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 आदेश न्याय, नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के पिता को साक्ष्य व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना सरसरी तौर पर उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के दबाव में आकर गैर कानूनी तौर पर प्रार्थी के खेत मे से 10 फिट का रास्ता कायम करने का गैर कानूनी आदेश पारित किया है जबकि विपक्षी के पास पूर्व से ही आने जाने का रास्ता उपलब्ध है जिसकी सी0डी0 अपीलांट के पिता ने प्रस्तुत की थी किन्तु उसे बिना किसी जांच के लंबा रास्ता होना मानते हुए विपक्षी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अधी0न्याया0 ने त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार भिनाय द्वारा दी गई एकतरफा रिपोर्ट जो कि उन्होंने उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के दबाव में आकर दी है, उस पर विश्वास कर अपना निर्णय पारित किया है जबकि एकतरफा रिपोर्ट साक्ष्य में पढ़ने योग्य नहीं है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को पूर्णतया नहीं पढ़ा है उसने पूर्व से रास्ता होना दर्ज किया है व अपीलांट के पिता द्वारा रास्ता रोके जाने का कथन किया है ऐसी स्थिति में प्रकरण धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 का न होकर केवल धारा 251 का ही माना जा सकता है जिसकी सुनवाई का अधिकार केवल तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत को ही है । अतः उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने जो निर्णय धार 251 राज0काश्त0अधि0 के तहत पारित किया है वह बिना अधिकारिता के पारित किया गया है जो काबिल निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने गैर कानूनी तौर पर खसरा नंबर 1894 जो कि अपीलांट के पिता की खातेदारी का खेत है, में से व इसके अलावा खसरा नंबर 1837 जो कि रामदेव की खातेदारी का खेत है उसमें से भी 132 वर्गमीटर भूमि देने व इसके अलावा ग्राम की आबादी खसरा नंबर 1685 व 1706 व 1903 में भी बिना किसी मूल्य के रास्ता दिया है, जबकि उन्हें राजस्व रिकार्ड में नया रास्ता कायम करने का कोई अधिकार नहीं है । राज्य सरकार को कानूनन डी0एल0सी0 रेट का दुगना पैसा अदा कर राजकोष में जमा करवा कर ही रास्ता कायम किया जा सकता था जो कि राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(52)राज/6/12/4 दिनांक 14.6.2013 को जारी किया गया है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया रास्ता बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को चौड़ा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम 1 के खण्ड ख के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त नियमों को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है । खसरा नंबर 1685 जो कि ग्राम पंचायत के क्षैत्राधिकार की भूमि है, उसे पक्षकार बनाये बिना व खसरा नंबर 1903 व 1706 की सरकारी भूमि जिसकी भी कोई कीमत जमा करवाये बिना, बिला वजह से नया रास्ता कायम करने का आदेश देने में विपक्षी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के विपरीत निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है क्योंकि धारा 251 के तहत आबादी व सरकारी भूमियों में से बिना कीमत रास्ता दिये जाने का कोई अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं है । अधी0न्याया0 ने खसरा नंबर

1837 की भूमि के खातेदार रामदेव व खसरा नंबर 1685 के खातेदार ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाये उनकी खातेदारी भूमि में से उनको सुने बिना अपीलाधीन आदेश पारि तकिया है जो धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 की मंशा के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपनी मौका रिपोर्ट गलत तौर पर लिखा है कि पड़ौसियों ने बताया रास्ता कायम था किन्तु किसी भी पड़ौसी का नाम रिपोर्ट में दर्ज नहीं है । यदि रास्ते की बाधा हटाने का प्रकरण तहसीलदार कहते है तो वह धारा 251 के तहत चलने योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 ने अपीलांट के पिता व अभिभाषक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान न कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की है । अपीलांट के पिता विपक्षी के चाह नंबर 1839, 1854, 1859, 1860, 1681, 1710, 1711 व 1713 में जाने हेतु पूर्व से रास्ता मौजूद है किन्तु बिना किसी जांच के पूर्व के रास्ते को अनउपयुक्त बताकर नया रास्ता कायम करने में अधी0न्याया0 ने त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों की पुष्टि में राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग का परिपत्र दिनांक 14.6.2013 एवं आर0आर0डी0 1984 पेज 111, आर0आर0डी0 1994 पेज 215 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 खसरा नंबरान 1854, 1681, 1710, 1711, 1713, 1839, 1859, 1860 का खातेदार काश्तकार है । खसरा नबर 1894 रकबा 0.55 है0 अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी है जिसके पूर्वी तरफ एक रास्ता पुश्तैनी समय से अन्य सहखातेदारों के साथ काश्त करने हेतु यंत्र लाने व ले जाने हेतु उपयोग करते आ रहे है जिससे उन्हें सुखाधिकार हांसिल हो चुके है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1/अपीलांट द्वारा उक्त रास्ते के सुखाधिकार पर लड़ाई झगड़ा करता है । रेस्पो0 संख्या 1 अपनी खातेदारी की आराजियात पर कृषि कार्य हेतु आने जाने व कृषि यंत्र लाने व ले जाने हेतु राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किस्म रास्ता जिसके खसरा नंबर 1904 से होकर खसरा संख्या 1903 जो कि सिवायचक है की पूर्वी मेड़ से होकर खसरा नंबर 1851, 1852, 1853, 1855 की पश्चिमी मेड़ की तरफ होकर उक्त आराजी के लगवा खसरा संख्या 1854 जो कि रेस्पो0 संख्या 1 का कुआं है, तक आते जाते रहे है जो रास्ता वर्षो से होने के कारण प्रार्थी व अन्य वर्णित खातेदारान का सुखाधिकार हांसिल हो गया है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि रेस्पो0 की भूमियों पर जाने के लिए कोई मौके पर एवं राजस्व नक्शे में वैकल्पिक रास्ता नही है अपितु प्रार्थी के जाने के रास्ते पर अप्रार्थी ने बाड़ लगाकर बाधित किया है । रेस्पो0 संख्या 1 की भूमियों पर जाने का निकटतम रास्ता मुख्य सड़क से मिलता हुआ अपीलांट की भूमि से होते हुए सरकारी भूमि से आयेगा । रास्ता दिया जाना न्यायोचित है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सी0डी0 फर्जी एवं बनावटी है जिसे अभिलेख पर नहीं लिया जा सकता था । अधी0न्याया0 ने आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन तलब किये है जिसमें तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 1.10.2015 में अंकित किया है कि खसरा नंबर 1903 का रकबा 2.06 है0 गे0मु0 मगरी सिवायचक भूमि में पूर्व की ओर कोई रास्ता बना हुआ नहीं है केवल दक्षिणी ओर मेड़ के पास पगदण्डी बनी हुई है, पडौसियों ने बताया कि इन खसरा नंबरान में से होकर प्रार्थी के खेत व कुएं पर जाने का पूर्व में रास्ता बना हुआ था जिसे 2 वर्ष पूर्व श्री गिरीराज ने जे0सी0बी0 चलाकर डोल डालकर बंद कर दिया है । इसी प्रकार जांच प्रतिवेदन दिनांक 16.11.2015 में भी

तहसीलदार ने अंकित किया है कि प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1839 में जाने हेतु खसरा नंबर 1894 के खातेदारा द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया है । उक्त दोनों जांच प्रतिवेदन राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 2.3.2012 के अनुसार स्वंय सक्षमाधिकारी तहसीलदार, भिनाय द्वारा पेश किये गये है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भिनाय में प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजियात खसरा नंबर 1854, 1681, 1710, 1711, 1713, 1839, 1859 एवं 1860 अवस्थित है । उक्त आराजियात पर कृषि यंत्र ले जाने हेतु राजस्व रिकार्ड में दर्ज किस्म रास्ता खसरा नंबर 1904 से खसरा नंबर 1903 सिवायचक की पूर्वी मेड़ से होकर खसरा नंबर 1851 से 1853 व 1855 की पश्चिमी मेड से हाकर उक्त आराजी के लगवा खरा नंबर 1854 जो कि प्रार्थीगण का कुआं है वहां आते जाते रहे है किन्तु अप्रार्थी गिरीराज ने उक्त रास्ते से निकलने पर लड़ाई झगड़ा करता है । अतः प्रार्थी को खसरा नंबर 1894 की पूर्वी मेड़ की तरफ 10 फिट रास्ता के आदेश प्रदान करावे । उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी संख्या 1/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा तत्पश्चात् दिनांक 10.9.2015 को वादी वकील ने प्रार्थना पत्र वास्ते नियुक्ति मौका कमीश्नर पेश किया । प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने बाबत् सहमति दी जिस पर अधी0न्याया0 ने तहसीलदार, भिनाय को मौका कमीश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये । उक्त मौका रिपोर्ट के विचाराधीन रहते अप्रार्थी संख्या 1/अपीलांट ने जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रकरण को अन्यंत्र स्थानातंरित करने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 15.10.2015 के अनुसार तहसीलदार की मौका कमीश्नर रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली स्थानातंरण से उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को प्राप्त होने पर अप्रार्थी के अधिवक्ता ने तहसीलदार से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 19.1.2017 को उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन रास्ते के संबंध में आदेश पारित किये है ।

9. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार, भिनाय ने दिनांक 10.11.2016 को अपनी रिपोर्ट तैयार कर अधी0न्याया0 को भिजवाई है । उक्त मौका रिपोर्ट में तहसीलदार ने अंकित किया है कि खसरा नंबर 1839 में जाने हेतु खसरा नंबर 1894 के कृषक द्वारा रास्ता अवरूद्ध कर रखा है व मौका अनुसार रास्ता संलग्न नक्शा में दर्शाया गया है । खसरा नंबर 1839 में जाने हेतु अन्य रास्ता नहीं है । अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि खसरा नंबर 1839 के मध्य खसरा नंबर 1685, 1706, 1903, 1894, 1837 आते है । तहसीलदार, भिनाय की उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2016 से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1839 में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होना अंकित किया है साथ ही खसरा नंबर 1839 की पहुंच हेतु खसरा नंबर 1685, 1706, 1903, 1894, 1837 आना अंकित कर खसरा नंबर 1894 के खातेदार द्वारा रास्ता अवरूद्ध करना अंकित किया है । उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 पूर्व से

खसरा नंबर 1839 पर आवागमन हेतु उपरोक्त खसरा नंबरान में आवागमन करता रहा है इसके अतिरिक्त उसकी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1839 में पहुंच हेतु अन्य कोई रास्ता विद्यमान नहीं है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1839 में आवागमन हेतु खसरा नंबर 1685, 1706, 1903, 1894 एवं 1837 में से रास्ते के संबंध में जो आदेश पारित किये है वे उचित प्रतीत होते है । जहां तक अपीलांटस का यह कथन कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1894 के अतिरिक्त अन्य खसरा नंबर 1837 जो कि रामदेव की खातेदारी का खेत है, को पक्षकार नहीं बनाया एवं इसी प्रकार एवं खसरा नंबर 1685 जो कि ग्राम पंचायत की भूमि है को भी पक्षकार कायम नहीं किया है तथा खसरा नंबर 1706 व 1903 सरकारी भूमियां है किन्तु अधी0न्याया0 ने खसरा नंबर 1685, 1706 व 1903 की भूमियों में से रास्ता संबंधी आदेश तो दिये है किन्तु उक्त खसरा नंबरान को कोस्ट मुक्त रखा जाकर रास्ते के आदेश पारित किये है । इस संबंध में अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया है कि अधी0न्याया0 द्वारा खसरा नंबर 1685, 1706 व 1903 की भूमियों को कोस्ट मुक्त रखा गया है किन्तु प्रार्थी/रेस्पो0 उक्त तीनों खसरा नंबरान की रास्ते में आने वाली भूमियों के संबंध में सरकारी दर से कोस्ट जमा कराने को तैयार है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पो0 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1839 की पहुंच हेतु अन्य कोई वेकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी पूर्व से खसरा नंबरान 1685, 1706, 1903, 1894, 1837 की भूमियों से आवागमन करता रहा है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पो0 को अपनी आराजी तक आवागमन हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है जिसकी पुष्टि तहसीलदार, भिनाय द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से भी होती है । चूंकि खसरा नंबर 1685 के खातेदार ग्राम पंचायत द्वारा उसकी आराजी में से रास्ता दिये जाने के संबंध में कोई आपत्ति या अपील पेश नही की गई इसलिये इस संबंध में ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाये जाने के संबंध में अपीलांटस द्वारा अपील में लिये गये ऐतराज निरस्त किये जाते है तथा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है ।

10. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.1.2017 प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1839 की पहुंच हेतु खसरा नंबरान 1685, 1706, 1903, 1894, 1837 में से दिये गये रास्ते के संबंध में यथावत् रखे जाने योग्य तथा ग्राम पंचायत की भूमि खसरा नंबर 1685 एवं सरकारी भूमि खसरा नंबर 1706 व 1903 में से रास्ते के संबंध में उपयोग होने वाली भूमि को कोस्ट मुक्त रखे जाने की हद तक निरस्त योग्य पाया जाता है ।

11. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.1.2017 प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1839 की पहुंच हेतु खसरा नंबरान 1685, 1706, 1903, 1894, 1837 में से दिये गये रास्ते की हद तक यथावत् रखा जाता है तथा अधी0न्याया0 को यह निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 1839 की पहुंच हेतु ग्राम पंचायत के खसरा नंबर 1685 एवं सरकारी भूमि खसरा नंबर 1706 एवं 1903 में से रास्ते मे जाने वाली भूमि के संबंध में कोस्ट मुक्त रखे जाने संबंधी आदेश निरस्त किया जाते है तथा अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम पंचायत के खसरा नंबर 1685 एवं सरकारी भूमि खसरा नंबर 1706 एवं 1903 में से रास्ते मे जाने वाली भूमि के संबंध में प्रार्थी/रेस्पो0

संख्या 1 द्वारा नियमानुसार डी0एल0सी0 दर के अनुसार प्रतिकर जमा कराये जाने के उपरांत नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने की कार्यवाही करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पृथक से भिजवाई जावे ।

**(मेघना चौधरी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

12. निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(मेघना चौधरी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**